कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा,अम्बिकापुर (छ.ग.)

(प्रधानमंत्री आवास योजना) (ग्रामीण)

:: आदेश ::

अम्बिकापुर, दिनांक 24/11/2017

क्रमांक/ 9974 /स्था./प्र.म.आ.यो./जि0पं0/2017 :: विकास आयुक्त कार्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रकोष्ठ, इन्द्रावती भवन, छ0ग0 रायपुर के पत्र क्र. 226/वि–6/प्रमंआयो(ग्रा)–सेटअप/2017 नया रायपुर, दिनांक 29.04.2017 के पालन में **विकासखण्ड समन्वयक (संविदा)** जनपद पंचायत स्तर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अन्य आदेश पर्यन्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन एतद् द्वारा संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	संवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सुनील कुमार बंजारे	श्री लिया राम बंजारे	विकास खण्ड समन्वयक (संविदा)	अजा (मुक्त)	ग्राम–फगुरम, पोस्ट–टैटम, तह0–घरघोड़ा, जिला रायगढ (छ0ग0)	**कार्यालय जनपद पंचायत मैनपाट**
2	श्री राजू एक्का	श्री शिवनन्दन	विकास खण्ड समन्वयक (संविदा)	अजजा (मुक्त)	ग्राम–डुमर भवना (नावापारा) पोस्ट–पोकसरी, जिला सरगुजा (छ0ग0)	**कार्यालय जनपद पंचायत लुण्ड्रा**

शर्ते

1. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र.एफ.9–1/2012/1–3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध मे समस्त शर्ते लागू होगी।
2. यह पद संविदा पद का है, भविष्य में नियमितिकरण संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा।
3. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
5. अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नही देगा तथा कार्यालय की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
6. संविदा अवधि के दौरान अन्य संस्थाओं में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यापार करने पर प्रतिबंध होगा।
7. संविदा नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 01 वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन प्रतिवर्ष लिया जावेगा, ताकि आगामी वर्षो के संविदा नियुक्ति नवीनीकरण हेतु मूल्यांकन हो सके।
9. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

11. संविदा पर प्रतिमाह एकमुश्त वेतन रूपये **28080/–** (शब्दों में :– अट्ठाईस हजार अस्सी मात्र) की पात्रता होगी।

12. राज्य सरकार की आवश्यकता के आधार पर उपरोक्तानुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय लिया जा सकेगा।

13. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मूलभूत नियम 10 के अनुसार पदस्थापना स्थल से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 01 माह के भीतर पदस्थापना कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने पर संविदा सेवाएं एक पक्षीय रूप से समाप्त कर दी जावेगी।

14. अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व समस्त आवश्यक मूल प्रमाण पत्र जांच हेतु पदस्थापना कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्रों की जांच में किसी प्रकार की असत्यता पाई जाने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

15. अभ्यर्थी का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में किसी प्रकार से दोषी पाये जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त माना जावेगा एवं इसके लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी।

16. संविदा शर्तो एवं छ.ग. शासन जिला पंचायत सरगुजा के विनियमों, निर्देशों के प्रतिकुल कार्यवाही करने पर संविदा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

17. चयनित अभ्यर्थी को दिनांक 02/12/2017 तक कार्यालय जिला पंचायत में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सरगुजा

पृ. क्रमांक/9975/स्था./प्र.म.आ.यो./जि0पं0/2017 अम्बिकापुर, दिनांक 24/11/2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर।
2. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर।
3. कलेक्टर, जिला सरगुजा।
4. पुलिस अधिक्षक, जिला सरगुजा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा।
6. जिला रोजगार अधिकारी जिला रोजगार अम्बिकापुर जिला सरगुजा।
7. प्रभारी अधिकारी (प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण) जिला पंचायत सरगुजा को सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैनपाट एवं लुण्ड्रा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ। जिले की वेबसाईट www.surguja.nic.in में अपलोड करने का कष्ट करें।
10. जिला जनसम्पर्क कार्यालय अम्बिकापुर।
11. सर्व संबंधित **श्री**.. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सरगुजा